कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–815/ 1160 नया रायपुर, दिनांक 17/06/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Dhamtari " Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area-11.534 ha. regarding**
पंजीयन क्रमांक –FP/CG/OFC/42358/2019 Date 05.11.2019

संदर्भ:– 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ – 5–02/ 2020/ 10–2 दिनांक 16.04.2020
2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक. शा./ विविध/ 3434 दिनांक 06.06.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है ।

संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त द्वारा उक्त जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

क.	कमियां	निराकरण
01	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 में भाग–4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुशंसा प्रदाय की गई है। उक्त भाग–4 में अनुशंसा किस गैर वानिकी कार्य हेतु की गई है, या स्पष्ट रूप से अंकित नही है।	प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 57 भाग–4 में गैर वानिकी कार्य (ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने) का उल्लेख कर संशाधित भाग–4 संलग्न है। संलग्न :–परिशिष्ट–(अ)
02	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिन्दु क्र. a (ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण) तथा b (ग्राम सभा की अनुशंसा) संबंधी जानकारी में "Not Applicable" लिखा है। भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. F11-9/98-FC(pt), दिनांक 05-07-2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत् कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारूप में Linear प्रकरणों हेतु Form I निर्धारित है तथा इस Form I में FRA के अधीन Settlements of Rights संबंधी ग्रामसभा की संपूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही विवरण को संलग्न किया जाना उल्लेखित है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम सबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। जिसमे जलवायु एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. F11-9/98-FC(pt),दिनांक 03.08.2009 का उल्लेख किया गया है, जलवायु एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार के पत्र क्र.F11-9/98-FC(pt),दिनांक 28.10.2014 में उपरोक्त पत्र का उल्लेख है जिसके अनुसार Proposal seeking prior approval under FCA 1980 for project for laying of Optical Fibre Cable are exempted from requirment of obtaining consent of the concern gramsabha (Anner- 1,2 and 3 (Annex - 1,2 and 3) संलग्न :– परिशिष्ट–1,2 एवं 3

03	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होने का लेख किया गया है। उक्त बाबत् स्थिति स्पष्ट करें।	कलेक्टर कार्यालय जिला धमतरी से दिनांक 17.10.2019 को FRA प्रमाण पत्र का अवलोकन हो, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत की आवश्यकता नहीं है, क्योकि आवेदित वन क्षेत्र में Premitive Trible Group and Pre-Agricultural Communities निवास नहीं करती है।
04	प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित धमतरी वनमण्डल में अलग–अलग OFC लाईन के प्रकरणों को एक्जाई कर इन लाईनो से प्रभावित हो रहे वन कक्ष के क्रमांक दर्ज करते हुए कुल रकबा 11.534 हे. वन भूमि को व्यपवर्तन हेतु आवेदित किया गया है। कृपया उपरोक्त आवेदित प्रत्यके OFC लाईन का निम्नानुसार विस्तृत विवरण प्रदाय करें :– 1. प्रत्येक OFC लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है। 2. प्रत्येक OFC लाईन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा। 3. धमतरी वनमण्डल में प्रस्तावित उपरोक्त सभी OFC लाईनों का उपरोक्त बिन्दु क्र. 4 (1) तथा 4(2) में उल्लेख अनुसार विवरण देते हुए विषयांकित प्रस्ताव में कुल आवेदित वन भूमि की गणना प्रस्तुत करें।	यह एक OFC केबल का लीनियर प्रकरण है जो ring system पर आधारित है अर्थात जिस बिन्दु से OFC Line प्रारंभ होती है उसी बिन्दु पर आकर OFC Line समाप्त हो जाती है। शेष विवरण प्रस्ताव में चेकलिस्ट 3 में शामिल है तथा धमतरी वनमण्डल में प्रस्तावित OFC लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक गुजर रही है, उनका वनखण्ड वार तथा कक्ष वार विवरण सूचीबद्ध करते हुए संलग्न किया जा रहा है। (Annex - 4 and 5) संलग्न :– परिशिष्ट – 4 एवं 5
05	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 अधूरा एवं अहस्ताक्षरित है	प्रस्ताव के पृ. क्र. 57, भाग –4 पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है बिन्दु क्रमांक 1 अनुसार संशोधित भाग 4 संलग्न है।

मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त से प्राप्त जानकारी अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:– संदर्भित पत्र की छाया प्रति (42 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 17 /06/2020

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 815/ 1161
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, धमतरी वन मंडल, धमतरी, छत्तीसगढ़।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग—4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमण्डल अंतर्गत 11.534 हे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 11.534 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 18/06/2020
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

(राकेश चतुर्वेदी)
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

Form -4 (Vividh) 2020 (1)